फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

भौरी देवी बनाम गोपी देवी

प्रार्थना पत्र संख्या 29/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
05.12.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1, 2 व 3/1 लगायत 3/5 की सम्यक तामील मानी जाकर मूलवाद पत्र मे एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चूकी है। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त उचित समझते हुऐ उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी खसरा नं. 45 रकबा 0.5311 हैक्ट., खसरा नं. 90 रकबा 1.1381 हैक्ट., खसरा नं. 92 रकबा 1.6186 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.2878 हैक्ट. स्थित ग्राम लालगढ पटवार हल्का लालगढ भू0अ0नि0 लालगढ तह0 बस्सी जिला जयपुर पर ताफैसला मूलवाद मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर दर्ज नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर ग्रामीण	